प्राक्कथन

दामोदर घाटी निगम (निगम) बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के अन्दर आने वाली दामोदर नहीं घाटी का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948 के अन्तर्गत जुलाई 1948 में गठित किया गया था। नवम्बर 2000 में झारखण्ड राज्य के बनने के साथ केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर बिहार राज्य को झारखण्ड से बदलने के लिए राजपत्र अधिसूचना (नवम्बर 2002) के द्वारा इसे संशोधित किया।

बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई के अतिरिक्त निगम मुख्यतया विद्युत के उत्पादन तथा वितरण में लगा है। निगम ने अपनी स्वयं की 4700 मे.वा. की पांच परियोजनाओं के माध्यम से और संयुक्त उद्यम मार्ग की 1550 मे.वा. की दो परियोजनाओं के माध्यम से 11वीं योजना अवधि के दौरान 6250 मे.वा. की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई (फरवरी 2009)। उपर्युक्त के अतिरिक्त 1000 मे.वा. की चार यूनिटें चालू थीं जो 10वीं योजना की परियोजनाओं में छितरी हुई थीं। तथापि, 11वीं योजना अवधि के दौरान निगम केवल 1025 मे.वा. (अपनी स्वयं की यूनिट के लिए 500 मे.वा. की एक यूनिट और संयुक्त उद्यम द्वारा 525 मे.वा. की एक अन्य यूनिट) परिणामस्वरूप 5225 मे.वा. की कमी हुई। 10वीं योजना में छितरी सभी परियोजनाएं 11वीं योजना अवधि के दौरान प्रतिष्ठापित की गई थीं।

उपर्युक्त पृष्ठपट में, यह निर्धारित करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी कि क्या परियोजनाएं तथा ठेके पर्याप्त मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता और स्थापित मार्गनिर्देशों के अनुपालन में संचालित किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए भी की गई थी कि क्या क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में स्थापित उद्देश्य निगम द्वारा प्राप्त किए गए थे।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निष्पादन लेखापरीक्षा मार्गनिर्देश 2014 और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर निगम तथा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त सहयोग का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।